

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 03/भू0अ0नि0(आरोप)-जमुई-13/2023...669... पटना, दिनांक : 06/02/2024

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 28 दिनांक 11.01.2023 द्वारा मो0 शहवाज आलम, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02552) के विरुद्ध कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहने, बार-बार निदेश दिए जाने के बावजूद कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं करने एवं कार्य असंतोषजनक रहने का प्रतिवेदन देते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 1693 दिनांक 21.02.2023 द्वारा मो0 आलम से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा 02 माह की लम्बी अवधि के बाद भी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के स्थिति में निदेशालय पत्रांक 2630 दिनांक 03.04.2023 एवं स्मार पत्रांक 4315 दिनांक 22.05.2023 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गयी है। अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 368 दिनांक 25.05.2023 द्वारा मो0 आलम के विरुद्ध 06 माह से अपने कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने का प्रतिवेदन दिया गया है।

उपरोक्त के आलोक में निदेशालय पत्रांक 5738 दिनांक 11.07.2023 द्वारा पुनः इनसे संविदा समाप्ति के विरुद्ध 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि ये अपनी माँ की तबीयत खराब रहने के कारण इलाज के लिए वेल्लौर सी0एम0सी0 गए थे, जिस कारण इलाज में 04 माह का लम्बा समय लग गया है, जिसके कारण यह उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अपने स्पष्टीकरण के साथ इनके इलाज कराए जाने से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण पुनः निदेशालय पत्रांक 8479 दिनांक 11.10.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की पुष्टि हेतु 03 दिनों के अन्दर साक्ष्य उपलब्ध कराने का अवसर दिया गया है। प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति अंतिम अवसर देते हुए निदेशालय पत्रांक 9128 दिनांक 07.12.2023 द्वारा पुनः साक्ष्य की मांग की गयी है। 01 माह की लम्बी अवधि बीत जाने के पश्चात् भी इनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन, प्रभारी पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचिका रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि मो0 आलम पर लगाए गए आरोप के आलोक में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, परन्तु इनके द्वारा निदेश की अवहेलना की गयी है। तत्पश्चात् अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के संबंध में भी स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में इनके द्वारा माँ की बिमारी के कारण अनुपस्थित रहने का हवाला दिया गया। इस संबंध में बार-बार साक्ष्य की मांग करने के बावजूद भी इनके द्वारा साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया, जो इनके मनमानेपन एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना को परिलक्षित करता है। चूंकि यदि ये अपनी माँ की बिमारी के कारण अनुपस्थित थे, तो इनके द्वारा इसकी सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी को दी जानी चाहिए थी, परन्तु इनके द्वारा इससे भी संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है इससे स्पष्ट हो रहा है कि इनके द्वारा मात्र संविदा में बने रहने के लिए बहानेवाजी की जा रही है। साथ ही ऑनलाईन उपस्थिति पंजी के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ है कि ये माह जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक में मात्र 02 दिन ही उपस्थित हैं।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसके लिए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन करते हुए ससमय कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ऐसे में मो0 आलम के इतनी लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने से कार्य प्रभावित हुआ है एवं सर्वेक्षण कार्य के प्रक्रमों में अनावश्यक विलंब हुआ है, ऐसी स्थिति में अन्य विशेष सर्वेक्षण कर्मियों पर इसका कुप्रभाव पड़ने के दृष्टिगत इन्हें संविदा में बनाए रखना उचित नहीं होगा।

अतः "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम - 8(4)" में वर्णित प्रावधान के तहत मो0 शहवाज आलम, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02552) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 21/24  
निदेशक

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(आरोप)-जमुई-13/2023.....669 पटना, दिनांक :- 06/02/2024  
प्रतिलिपि :- मो0 शहवाज आलम, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02552), बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(आरोप)-जमुई-13/2023.....669 पटना, दिनांक :- 06/02/2024  
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(आरोप)-जमुई-13/2023.....669 पटना, दिनांक :- 06/02/2024  
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण 21/24